न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः— 11 / 2021

दायरा दिनांक :— 15.07.2021

अपीलार्थीः—	बनाम	प्रतिवादीगणः—
1. श्रवणसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपुत जाति राजपुत निवासी बोया तहसील बाली जिला पाली		1. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार बाली जिला पाली

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र कुमार व्यास विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम बसिलसिले प्रकरण संख्या 364 / 2021 बअनवान सरकार बनाम श्रवणसिह निर्णय दिनांक 09.03.2021 न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार बाली।

—:निर्णयः— दिनांक 23/6/2022

अपीलाण्ट्स ने यह अपील रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के विरूद्व पटवार हल्का बोया द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि मौजा बोया पटवार हल्का बोया की सरहद में खसरा नम्बर 238 के रकबा 0.03 किस्म गैर मुमकिन व खसरा नम्बर 237 रकबा 0.28 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन वाला पर अपीलान्ट द्वारा सवत् 2077 में अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व धारा 91 भु राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की तत्पश्चात् बिना अपीलान्ट को सुने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को राजस्थान भु राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखली के आदेश पारित किये गये तथा वार्षिक लगान 12.71 पैसे रूपये का 50 गुणा 636/ रूपये जुर्माना आरोपित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट यह अपील निम्न आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

1. अधिनस्थ न्यायालय का आदेश मनमाना, अनुचित व प्राक्रतिक सिद्वान्तों के विपरित पारित किया है जो काबिल निरस्त होने योग्य है।

2. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुने बगैर बाले बाले कानुनी प्रक्रिया के विरूद्व पारित किया है जो काबिल निरस्त होने योग्य है।

3. यह है कि अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया है, सेटलमेन्अ से पुर्व अपीलान्ट की भुमि 66 बीघा 18 बिस्वा कृषि भुमि थी तथा सेटलमेन्ट से सेटलमेन्ट के पश्चात् अपीलान्ट की कृषि भुमि 66 बीघा 5 बिस्वा ही रह गई, सेटलमेन्ट के पश्चात् राजस्व रेकर्ड में 13 बिस्वा भुमि जो करीब पौन बीघा कम दर्ज कर दी गई। अपीलान्ट का आज भी कई अर्से दराज से अपनी कृषि भूमि पर कब्जा कास्त है किसी भी सरकारी भुमि पर अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नही है। केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जा रहा है। अपीलान्ट का किसी भी गैर मुमकिन कृषि भुमि या गैर मुमकिन वाला की भुमि पर किसी प्रकार का कोई

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

अतिक्रमण नही है। पटवार हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व झुठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है। केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की विद्वेषतापुर्वक रिपोर्ट के आधार पर बिना किसी जांच किये सरसरी तौर पर आदेश पारित किया गया है जो अपीलान्ट के हितों व अधिकारों के विपरित होने से काबिल मन्सुखी है।

4. यह है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को सुने बिना व बिना साक्ष्य के अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी कानुनी व वाक्याती भुल की है। अदालत मातहत के समक्ष किसी प्रकार की कोई ऐसी साक्ष्य नही होने के बावजुद अपीलान्ट को अतिक्रमी मान कर अपीलान्ट को बेदखली व जुर्माने से दण्डित किया है जो कानुन की मंशा के विपरित होने से अदालत मातहत का आदेश काबिल मंन्सुखी है।

5. अदालत मातहत की पत्रावली को देखने मात्र से ही यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुने बिना अपीलान्ट की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट पर कोई नोटिस तामिल नही करवाया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम कानुनी प्रक्रिया को ताक में रख कर बाद में बिना अपीलान्ट को सुने व जिरह का अवसर दिये बगैर बाले बाले निर्णय किया गया है जो निर्णय आदेश मनमाना, अनुचित व प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरित पारित किया है जो काबिल निरस्त होने योग्य है।

6. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के देखने मात्र से स्पष्ट है कि अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट के अतिक्रमण के सम्बन्ध में किसी प्रकार के कोई दस्तावेजात नही उपलब्ध थे फिर भी अपीलान्ट को जबरन 91 भु राजस्व अधिनियम का दोषी मानते हुये बेदखली व जुर्माने से दण्डित किया गया है जो विधि के मान्य सिद्वान्तों के विपरित होने से काबिल खारिज है।

7. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र अपीलान्ट को हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी कानुनी भुल की है। अपीलान्ट का अपनी स्वयं की खातेदारी की कृषि भुमि पर ही अर्से दराज से कब्जा चला आ रहा है व किसी प्रकार का कोई गैर मुमकिन व गैर मुमकिन वाला की भुमि पर कब्जा नही है।

8. अपीलान्ट एक ग्रामीण व्यक्ति व अनपढ व्यक्ति है जिसे कानुन की कोई जानकारी नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2021 को अपीलान्ट को न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस दिया गया था जिस पर अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित हुआ था तथा उक्त पेशी पर अधिनस्थ न्यायालय में अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से अपीलान्अ को आईन्दा पेशी पर आने की हिदायत दी गई थी लेकिन पटवार हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में अपीलान्ट की फसल कुर्क कर उसको बेदखल करने की धमकी देने पर अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की सर्व प्रथम जानकारी प्राप्त होने पर अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रति दिनांक 14.07.2021 को निकलवाने पर अपीलान्ट को सर्व प्रथम अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। अपीलान्ट को इसके पुर्व इस आदेश की कोई जानकारी नही थी। इस प्रकार अपीलान्ट यह अपील जानकारी की तिथी से अन्दर अवधि श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है जिसे अन्दर अवधि शुमार किये जाने हेतु अलग से धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

9. अपील Suject to limitation दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

10. वकील अपीलांट ने जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया जिस पर राजकिय अधिवक्ता ने भी अपनी सहमति जाहिर की। बहस उभय पक्ष सूनी गई।

11. वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील मिमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया है, सेटलमेन्अ से पुर्व अपीलान्ट की ग्राम बोया में 66 बीघा 18 बिस्वा कृषि भुमि थी तथा सेटलमेन्ट से सेटलमेन्ट के पश्चात् अपीलान्ट की कृषि भुमि 66 बीघा 5 बिस्वा ही रह गई, सेटलमेन्ट के पश्चात् राजस्व रेकर्ड में 13 बिस्वा भुमि कम दर्ज कर दी गई। अपीलान्ट का आज भी कई अर्सो दराज से अपनी कृषि भूमि पर कब्जा कास्त है किसी भी सरकारी भुमि पर अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नही है। केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जा रहा है। अपीलान्ट का किसी भी गैर मुमकिन कृषि भुमि या गैर मुमकिन वाला की भुमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है। पटवार हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व झुठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है। केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की विद्वेषतापुर्वक रिपोर्ट के आधार पर बिना किसी जांच किये सरसरी तौर बिना अपीलान्ट को सुने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को राजस्थान भु राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखली के आदेश पारित किये गये तथा वार्षिक लगान 12.71 पैसे रूपये का 50 गुणा 636/ रूपये जुर्माना आरोपित किया गया। जो अपीलान्ट के हितों व अधिकारों के विपरित होने से काबिल मन्सुखी है।

12. वकील अपीलांट ने द्वितिय तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को सुने बिना व बिना साक्ष्य के अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी कानुनी व वाक्याती भुल की है। अदालत मातहत के समक्ष किसी प्रकार की कोई ऐसी साक्ष्य नही होने के बावजुद अपीलान्ट को अतिक्रमी मान कर अपीलान्ट को बेदखली व जुर्माने से दण्डित किया है जो कानुन की मंशा के विपरित होने से अदालत मातहत का आदेश काबिल मंन्सुखी है।

13. वकील अपीलांट ने द्वितिय तर्क दिया कि अदालत मातहत की पत्रावली को देखने मात्र से ही यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुने बिना अपीलान्ट की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट पर कोई नोटिस तामिल नही करवाया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम कानुनी प्रक्रिया को ताक में रख कर बाद में बिना अपीलान्ट को सुने व जिरह का अवसर दिये बगैर बाले बाले निर्णय किया गया है जो निर्णय आदेश मनमाना, अनुचित व प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरित पारित किया है जो काबिल निरस्त होने योग्य है।

14. वकील अपीलांट ने तृतिय तर्क दिया कि अदालत मातहत की पत्रावली को देखने मात्र से ही यह स्पष्ट है कि अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमण के सम्बन्ध में पटवारी रिपोर्ट जो बताई गई है उसमें किसी प्रकार का नक्शा एंव उस नक्शें में विशिष्ट रूप से कोई डिमारगेशन व नाप चौक व अड़ौस–पड़ौस दर्ज किया हुआ नही है और न हीं ऐसा कोई नक्शा पत्रावली के साथ प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में यह उलेख्खित नहीं किया हैं कि अपीलाण्ट का अतिक्रमित क्षैत्र के कौनसे व कितने भाग पर अतिक्रमण है, जिससे यह पूर्णरूप से स्पष्ट नहीं है कि अपीलाण्ट द्वारा किस भाग पर कितना अतिक्रमण है।

15. वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट एक ग्रामीण व अनपढ व्यक्ति है जिसे कानुन की कोई जानकारी नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2021 को अपीलान्ट को न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस दिया गया था जिस पर अपीलान्ट

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

न्यायालय में उपस्थित हुआ था तथा उक्त पेशी पर अधिनस्थ न्यायालय में अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से अपीलान्ट को आईन्दा पेशी पर आने की हिदायत दी गई थी लेकिन पटवार हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में अपीलान्ट की फसल कुर्क कर उसको बेदखल करने की धमकी देने पर अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की सर्व प्रथम जानकारी प्राप्त होने पर अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रति दिनांक 14.07.2021 को निकलवाने पर अपीलान्ट को सर्व प्रथम अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। अपीलान्ट को इसके पुर्व इस आदेश की कोई जानकारी नही थी। इस प्रकार अपीलान्ट यह अपील जानकारी की तिथी से अन्दर अवधि श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है जिसे अन्दर अवधि शुमार किया जावे।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद शुमार कर अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

16. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकिय अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने मौजा ग्राम बोया, तहसील बाली के खसरा नम्बर 237 रकबा 0.28 हैक्टेयर किस्म गै. मु. वाला भूमि तथा खसरा नम्बर 238 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा था। इस पर कार्यवाही करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् प्रकरण संख्या 364/2021 दर्ज किया गया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सूनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.03.2021 को अपीलाण्ट को उक्त आराजी से बेदखल करने का निर्णय पारित किया गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 09.03.2021 विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाई जावें।

17. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण के सम्बन्ध में पटवारी रिपोर्ट जो बताई गई है उसमें किसी प्रकार का नक्शा एंव उस नक्शें में विशिष्ट रूप से कोई डिमारगेशन व नाप चौक व अड़ौस–पड़ौस दर्ज किया हुआ नही है और न हीं ऐसा कोई नक्शा पत्रावली के साथ प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 09.03.2021 में यह उलेख्खित नहीं किया हैं कि अपीलाण्ट का अतिक्रमित क्षैत्र के कौनसे व कितने भाग पर अतिक्रमण है, जिससे यह पूर्णरूप से स्पष्ट नहीं है कि अपीलाण्ट द्वारा किस भाग पर कितना अतिक्रमण है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.03.2021 पूर्णरूप से स्पष्ट नहीं होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता हैं।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील स्वीकार की जाती हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा प्रकरण संख्या 364/2021 में पारित आदेश दिनांक 09.30.2021 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता हैं। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 23/6/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)